

न्यायालय:- अमूल मण्डलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़,
जिला बड़वानी (म0प्र0)

फौज0प्र0क. 101/18

1. म.प्र. राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियोजन

विरुद्ध

1. राधु पिता भगवान बारेली,
उम्र 45 वर्ष, निवासी नवलपुरा
अंजड़, जिला बड़वानी

-----अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक 26/04/2018 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त राधु पर धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 28.02.2018 को दोपहर 07:30 बजे के लगभग नवलपुरा अंजड़ में 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था।

02. प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त राधु ने अभियोजित अपराध को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.02.2018 को थाना अंजड़ पर पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रमोद शर्मा को बीट एवं कस्बा भ्रमण के दौरान बस स्टेण्ड अंजड़ में मुखबरी से सूचना मिली कि नवलपुरा रोड़ अंजड़ तरफ से एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन में कच्ची महुँआ शराब भरकर बेचने हेतु लेकर आ रहा है, सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान संतोष एवं राजेन्द्रसिंह को उक्त सूचना से अवगत कराकर मुखबीर के बताये स्थान नवलपुरा रोड़ पहुंचा जहाँ एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन ले जाते हुऐ दिखा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा प्लास्टिक की केन चेक करते उसमें करीब 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुँआ शराब भरी मिली। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राधु पिता भगवान बारेली निवासी नवलपुरा अंजड़ बताया। उससे शराब रखने, बेचने एवं ले जाने का लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया, उसका उक्त कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम का होने से उसके कब्जे से पंचानों के समक्ष 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुँआ शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अभियुक्त राधु के विरुद्ध थाने का अपराध क 101/18 अंतर्गत धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार

/2/

फौज0प्र0क. 101/18

लेखबद्ध किये गये एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राधु ने इस निर्णय की कंडिका 1 में वर्णित सभी आरोपो को स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव में स्वीकार किया गया।

05. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है—
क्या अभियुक्त राधु पिता भगवान बारेला ने दिनांक 28.02.2018 को दोपहर 07:30 बजे के लगभग नवलपुरा अंजड़ में 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुँआ शराब अपने आधिपत्य में रखी, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था ?

सकारण निष्कर्ष

6— अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के असल होने को अभियुक्त ने स्वीकार किया है तथा यह व्यक्त किया है कि उसने उक्त अपराध किया है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से तथा अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम का अपराध करना प्रमाणित पाये जाने से उसे धारा 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

7— दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया, अभियोजन की और से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अवलोकन से अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि होना अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध होना प्रकट होता है। उक्त स्थिति में अभियुक्त को 34—1—क म.प्र. आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/— रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगताई जाने का आदेश दिया जाता है।

08. प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की महुँआ शराब अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण अपील न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया
दिनांकित कर घोषित किया गया

(अमूल मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)

(अमूल मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)